रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2016/फाल्गुन 12, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 217]
No. 35] DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2016/PHALGUNA 12, 1937 [N.C.T.D. No. 217]

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

एवं

मुख्य पंजीकार (जन्म व मृत्यु)

अधिसूचना

दिल्ली, 2 मार्च, 2016

सं. एफ.13(1)/जी.शा./अ.स.नि./2006/एमआई/422-428.—जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 30 की उप–धारा (1) के साथ धारा 2 की उप–धारा (1) के प्रावधान (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 में संशोधन करते हुए निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**–(1) ये नियम दिल्ली जन्म व मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2016 कहलायेंगे।

(2) ये संशोधन शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

2. **प्रपत्र–1, प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3 में संशोधन.**–दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 (इसके पश्चात मुख्य नियमावली के रूप में सन्दर्भित) ,–

(क) मुख्य नियमावली के अंतर्गत संदर्भित प्रपत्र–1 के क्रमांक 2 में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"2. लिंग: (पुल्लिंग/स्त्रीलिंग/ट्रांसजेंडर लिखें) (संक्षिप्त में नहीं)"

(ख) मुख्य नियमावली के अंतर्गत संदर्भित प्रपत्र–2 के क्रमांक 3 में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"3. मृतक का लिंग: (पुल्लिंग/स्त्रीलिंग/ट्रांसजेंडर लिखें) (संक्षिप्त में नहीं)"

(ग) मुख्य नियमावली के अंतर्गत संदर्भित प्रपत्र–3 के क्रमांक 2 में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"2. लिंग: (पुल्लिंग / स्त्रीलिंग / ट्रांसजेंडर लिखें) (संक्षिप्त में नहीं)"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस. एन. सहाय, प्रमुख सचिव (योजना)

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS
AND
OFFICE OF THE CHIEF REGISTRAR (BIRTHS AND DEATHS)
NOTIFICATION

Delhi, the 2nd March, 2016

No. F. 13(1)/VS/DES/2006/MI 422-428.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (f) of sub-section (1) of section 2 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Registration of Births and Deaths Rules, 1999, namely:—

1. **Short titles, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of notification in the Official Gazette.

2. **Amendment of Forms No.1, 2 and 3.—In the Delhi Registration of Births and Deaths Rules, 1999 (hereinafter referred to as the Principal Rules) ,-**

(a) In Form No. 1 appended to the Principal Rules, for entries at serial No. 2, the following entries shall be substituted, namely :-

"2. Sex : (Enter Male/Female/Transgender) (Do not use abbreviation)"

(b) In Form No. 2 appended to the Principal Rules, for entries at serial No. 3, the following entries shall be substituted, namely :-

"3. Sex of Deceased : (Enter Male/Female/Transgender) (Do not use abbreviation)"

(c) In Form No. 3 appended to the Principal Rules, for entries at serial No. 2, the following entries shall be substituted, namely :-

"2. Sex : (Enter Male/Female/Transgender) (Do not use abbreviation)"

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
S. N. SAHAI, Pr. Secy. (Plg.)

वित्त (राजस्व–1) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 2 मार्च, 2016

सं. फा. **10(5)/वित्त (राज.–1)/2014–15/डीएस–VI/69.**—दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री के. पी. सिंह, तदर्थ दानिक्स अधिकारी को पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निष्पादन के प्रयोजन हेतु, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके पद पर बने रहने तक सहायक आयुक्त (आबकारी) के रूप में नियुक्त करते हैं।